संख्या- 655 /2016/2044/69-1-16-55(म0ब0-83)/2016

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-इलाहाबाद की 14 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2672/03/10/छः/विविध/इलाहाबाद दिनांक 02 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-इलाहाबाद की नगर निगम इलाहाबाद की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 14 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 416.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 208.39 लाख (रूपये दो करोड़ आठ लाख उनतालीस हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं से सम्बन्धित आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008, दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।

क्रमशः..........2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु स्वीकृति की गयी धनराशि के अन्तर्गत ही समस्त परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने का दायित्व सूडा/डूडा का होगा। उक्त परियोजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

17. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

क्रमशः..........3

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत् जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-656/2016/2044(1)/69-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 656 /2016/2044/69-1-16-55(म0ब0-83)/2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय एवं नगर पंचायत का नाम	बस्ती एवं वार्ड का नाम	परियोजना की कुल आंगणित लागत ।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	नगर निगम इलाहाबाद	मो0 तेलियरगंज में एस0एन0 गोस्वामी के घर से मुन्ना के घर तक, शनि मन्दिर से गौतम के घर तक, नन्हे गौतम के घर से सुरेश के घर तक, राकेश के घर से धर्मेन्द्र रावत के घर तक, ऊषा देवी के घर से सागर जायसवाल के घर तक, संतोष के घर से डाक्टर के घर तक अंशू के घर से अशोक के घर तक, गोस्वामी के घर से अवध नारायण के घर तक, एस0एन0 गौतम के घर से रमेश के घर तक, शनि मंदिर से नागेश्वर मंदिर होते हुए शत्रुघ्न के घर तक, प्रेमलाल के घर से मुन्ना सोनकर के घर तक, प्रमोद के घर से सीता के घर तक, गौतम के घर से संतोष श्रीवास्तव के घर तक, शिव बहादुर के घर से महेन्द्र के घर तक, के0के0 मिश्रा के घर से मदुप नारायण के घर तक एवं बालादीन के घर से रिंकी पासी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	58.32	29.16
2.	तदैव	तदैव	मो0 तेलियरगंज में बब्लू रावत के मकान से मोहन लाल के मकान तक, राकेश के मकान से धासीराम के मकान होते हुये राजेश केसरवानी के मकान तक, गोविन्द के मकान से दीप एवं भैकूलाल के घर होते हुये प्रहलाद के मकान तक, किशुन के मकान से सन्नो देवी के मकान तक, दीवारी लाल के मकान से अतुल कुमार के घर होते हुये कौशल्या देवी के मकान तक, फूलचन्द गौतम के मकान से मूलचन्द के मकान होते हुये बच्चा लाल के मकान तक, कुन्दर के मकान से पुरूषोत्तम जी के मकान होते हुये रतन लाल के मकान तक, प्रमोद के मकान से बांके लाल के मकान होते हुये जियालाल के मकान तक, बुद्धलाल के मकान से प्रदीप के मकान तक एवं बब्बू के मकान से सुलभ काम्पलेक्स तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	35.30	17.65
3.	तदैव	तदैव	गंगा नगर, नेवादा में सुरेन्द्र कुमार के घर से मकान नं0 17 बी/8सी/1 तक, संजय कनौजिया के मकान से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, गगन के मकान से रन्नो देवी के मकान होते हुये रामप्रकाश के मकान तक, कन्हैया लाल के मकान से कनकलता के मकान होते हुये नाथू राम के मकान तक तथा हरि वर्मा के मकान से गंगा नगर रोड तक एवं सिन्हा कोचिंग से पीटर वाल्मिकी के मकान तक एवं एन0आर0 बुद्ध के सामने वाली गली तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली	74.96	37.48

http://shasanadesh.up.nic.in

			का निर्माण कार्य।		
4.	तदैव	तदैव	जोंधवल पश्चिमी में बद्री पाल के मकान से शिवशंकर पाण्डेय के मकान तक, सत्यदेव वाजपेयी के मकान से नलिनी के मकान तक, हनुमान मंदिर से बेनी माधव तिवारी के मकान तक, घनी यादव की गली, बब्लू सोनी के मकान से एल० यादव की गली तक, दयाशंकर शुक्ला के मकान से एल० यादव की गली तक, एल० यादव के मकान से पारस नाथ के मकान तक, विनोद हजेजा के मकान से यसपाल वर्मा की गली तक, सुधीर हजेजा के मकान से राकेश व रामदास की गली, बी०बी० सिंह के मकान से राजेश व राधेश्याम प्रजापति के मकान तक एवं राजेश के मकान से जंगी लाल तक की गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	32.56	16.28
5.	तदैव	तदैव	नेवादा, अशोक नगर में आदर्श सरस्वती निकेतन जू०ह० स्कूल की गली, ममता वियालय से लक्ष्मी देवी के मकान तक, पिच रोड से स्वामी विवेकानन्द होते हुये स्व० शशि एवं लक्ष्मी देवी के मकान तक, शकुन्तला के मकान से सरयू पाल के मकान तक, अशोक कनौजिया के मकान से केशव प्रसाद के मकान तक, किशोरी लाल की गली, अर्जुन की गली, भरत लाल के मकान से अमरजीत गुप्ता की गली, रामबरन पाल की गली, अरूण कुमार के मकान से सीताराम राउत की गली, हीरालाल के मकान से रेखा राउत की गली, रेखा राउत के मकान से रामबाबू पाल की गली, रामबाबू पाल की गली एवं भरत पाल से कल्लू पटेल की गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	33.08	16.54
6.	तदैव	तदैव	सदियाबाद पश्चिमी में राधेश्याम के मकान से स्व० राजाराम तक की गली, भानू पाल वाने से सोहन लाल तक की गली, इकरार के मकान से मस्जिद तक की गली, खुर्शीद के मकान से सलीम के मकान तक की गली, खुर्शीद के मकान से शहंशाह के घर होते हुये कम्मो भाई के मकान तक, सलीम के घर से खुर्शीद के घर होते हुये अब्दुल बारी के मकान तक, नुरूल हक के मकान से खुर्शीद के मकान होते हुये श्यामलाल के मकान तक एवं श्याम लाल के मकान से चाँदबाबू के मकान होते हुये भाई लाल के मकान तक अब्दुल रहीम के घर से लाल जी के घर तक असलम के घर से रमेश के घर तक, असलम के घर से आगनबाडी तक, जाहिद के घर से प्राथमिक विद्यालय तक, दुलारे लाल के घर से शिव मंदिर तक, संजय के घर से फूलचन्द्र के घर होते हुये कुंआ तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	18.55	9.275
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 56 फुलवरिया रोड पर इन्द्रानगर कालोनी में राजे कु० मिश्रा के घर से टी०एन० शर्मा के मकान तक, छोटेलाल तिवारी के मकान से प्रयागघाट स्टेशन तक, जितेन्द्र भूषण दुबे के मकान से लल्लू यादव के मकान तक, के०पी०सिंह	33.08	16.54

http://shasanadesh.up.nic.in

			के मकान से प्रमोद कुमार के मकान तक, गंगा प्रसाद साहू के मकान से अवधेश पाल के मकान तक, पवन श्रीवास्वत के मकान से मोहन निषाद के मकान तक, श्रीमती राममनी सोनकर के मकान से पंकज शुक्ला के घर तक एवं वी0पी0 द्विवेदी के मकान से आर0पी0 मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।		
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 56 सरैया हरिजन बस्ती में ज्ञान निषाद के घर से बिल्लो निषाद के घर तक एवं नरेश निषाद के घर से हीरालाल साहू के घर तक एवं अवधेश के घर से संतोष के घर तक, अशोक के घर से राजेन्द्र निषाद के घर तक, संदीप साहू के घर से सरैया के घर तक एवं रामकुमार सरैया के घर से कमलेश के घर तक एवं प्रभावती के घर से गणेश व रामजी निषाद के घर तक, अजय मोहन निषाद के घर से कुन्दन यादव के घर एवं सुरेन्द्र के घर से मधु के घर तक, श्रीराम निषाद के घर से विजय कुमार एवं शयरी माई के मंदिर तक, सत्यम मेडिकल स्टोर से रमेश बहादुर यादव के घर तक एवं आरती दुबे के घर से जगन्नाथ के घर तक, डॉ आर0 पाण्डेय के घर से प्रभाकर शर्मा के मकान तक एवं आशीष मिश्रा के घर से निर्मल तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	26.84	13.42
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 राजापुर (फेज-1) भोला माली के घर से मालती कुमारी के घर तक, मालती कुमारी के घर से धामघर मंदिर तक, बड़ेलाल के मकान से सुदामा के घर तक एवं गणेश लाल के मकान से राजू के घर तक एवं शीतला प्रसाद के घर से समता शिक्षा सदन तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	14.25	7.125
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 राजापुर (फेज-2) में जगन्नाथ से वी0एस0 गुप्ता के घर तक, ब्रम्हनन्द के घर से मुन्नीलाल के घर तक एवं प्रेम सिंह पहाड़ी के घर से सदन के घर तक, चेतन के घर से मोहन के घर होते हुये गोरे के दुकान तक एवं अशोक कुमार कुमार के घर से वी0के0शर्मा के घर तक, श्री राम जायसवाल के घर से रामचन्द्र के घर तक, मुकेश कुशवाहा के घर से बनवारी लाल के घर तक एवं संजय के घर से टुन्नू लाल के घर तक, रामचन्द्र के घर से हरिहर के घर तक नाथू राम के घर से सुरेष के घर तक, गंगा राम के घर से राजू के मकान होते हुये सोना देवी के घर तक, हेमचन्द्र के मकान से लाल बहादुर के घर तक एवं रामपाल के घर से माधुरी देवी के घर तक तथा दिनेश के घर से प्रकाश के घर तक एवं कृष्णा नन्द के घर से लाल बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	33.47	16.735
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 राजापुर (फेज-3) में मो0 नजीम के घर से मो0 रमजान एवं मो0 समसुद्दीन के घर से शिव कुमार के घर तक, मो0 रईस के घर से शिवराम के घर तक, एवं मैकूलाल के घर से सुरेश के घर तक, अशगर अली के घर	15.79	7.895

http://shasanadesh.up.nic.in

			से रईस अहमद के घर तक एवं मामा फल वाले से लद्दन रूई वाले के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।		
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 राजापुर (फेज-4) में मो0 मोईन के घर से यू0एस0 सिद्दीकी के घर तक, मस्जिद से मंदिर होकर पुरुषोत्तम के घर तक, गुड्डू के घर से रानू के घर तक, हकीमुद्दीन के घर से अख्तरी बेगम के घर तक एवं रमेशचन्द्र के घर से महेशचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	5.78	2.89
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 32 राजापुर (फेज-5) में नई मस्जिद से रईस अहमद एवं राम खेलावन के घर से अरविंद कुमार के घर तक, मो0 इस्लाम के घर से मिन्टू चक्की तक, घसिटे के मकान से लल्लू पान वाले होते हुये अनवर खान के मकान तक, रफीउल्ला के घर से रामू एवं डॉ कुशवाहा से करीमुंनिसा के घर तक, बब्लू के घर से बन्ने शेरवानी के घर तक, रामचन्द्र तिवारी के घर से बन्ने के घर तक, एल0बी0 सिंह के घर से रियाज के घर तक, मजार से मिन्टू चक्की तक, मिन्टू चक्की से हारून सिद्दीकी के घर होते हुये शकील तक एवं हारून सिद्दीकी के घर से दिलदार एवं मुमताज के घर से नरेश अग्रवाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	20.27	10.135
14.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 32 राजापुर (फेज-6) में सजादे खान के घर से सगीर अहमद के घर तक एवं अनवर अहमद के घर से मो0 इस्लाम के घर तक, अहमद के घर से सईद मोहम्मद के घर तक, समसेर के घर से बिस्मिल्ला खॉ के घर तक एवं जागीर के घर से इफितकार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	14.53	7.265
			योग	416.78	208.39

(रूपये दो करोड़ आठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in